तैयारी शराब की 501 दुकानों को ई-लॉटरी से आवंटन करने की प्रक्रिया शुरु, 234 देसी, 239 कंपोजिट शॉप, 27 मॉडल शॉप व भांग की दुकान का होगा आवंटन

लाइसेंस से पहले आवेदन फीस से मालामाल होगा आबकारी विभाग

नवीन कुमार

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में आवकारी विभाग ने शराब की 501 दुकानों का ई-लॉटरी से आवंटन करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। शुक्रवार 5 बजे के बाद से पंजीकरण शुरू हो गया है। दुकान आवंटन के लिए 17 से 27 फरवरी के बीच आवेदन किए जा सकेंगे। इस बार आवेदन की फीस बढ़कर 50 हजार से एक लाख रुपये तक कर दी गई है। जो वापस नहीं होगी।

अधिकारियों का अनुमान है कि इस बार लाइसेंस से पहले ही आवेदन फीस ही विभाग को मालामाल कर देगी। प्रदेश सरकार ने छह साल बाद आबकारी नीति में बदलाव किया है। इस बार शराब की दुकानों का ई-लॉटरी से आवंटित होंगी। गौतमबुद्ध नगर में पहले 535 शराब की दुकानें थी। नई नीति के तहत अब नए सिरे से दुकानों का समायोजन किया गया है।

इस बार देसी की 234 दुकानें होंगी। इनकी आवेदन फीस 40 हजार से 65 हजार रुपये तक है। वहीं अंग्रेजी व बीयर की 286 दुकानों की जगह 239 दुकानें होंगी। इनकी आवेदन फीस 55 हजार से 90 हजार रुपये तक है। जबकि 27 मॉडल शॉप के लिए आवेदन फीस 60 हजार से एक लाख रुपये तक है। जबकि पिछली बार आवेदन फीस 35000 से 60 हजार तक थी।

15 प्रतिशत बढ़ जाएगा राजस्व

चालू वित्तीय वर्ष में जिला आबकारी विभाग को 1800 से 1900 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। नई नीति से राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वहीं 239 कंपोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस से विभाग को 7.62 करोड़ रुपये मिलेगा। अगर इन दुकानों पर एक-एक आवेदन आता है तो ही विभाग को 2.01 करोड़ का राजस्व मिल जाएगा। वहीं मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस के रूप में विभाग को 38.23 करोड़ और देशी शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस से 79 करोड़ से अधिक की धनराशि मिलेगी।

आवेदन करने के लिए पंजीकरण कराना जरुरी : आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि ई-लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 फरवरी की शाम 5 बजे से पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन करने से पहले 27 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते है। वहीं दुकानों पर आवेदन 17 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक कर सकते है। छह मार्च को पहले चरण की ई-लॉटरी निकाली जाएगी।

“ इस बार आवेदन फीस बढ़ाया दी गई है। जिससे ई-लॉटरी में केवल वही लोग शामिल हो सके, जो कारोबार को लेकर गंभीर है। दुकानों के लिए 17 से 27 फरवरी के बीच आवेदन कर सकते हैं। एक नाम पर पूरे प्रदेश में केवल दो दुकानों का ही आवंटन होंगी। - **सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी**